



भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभाव: एक अध्ययन

Pratima Shukla¹ and Dr. Hari Om Agrawal²

Research Scholar, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh, India¹

Professor, Department of Commerce, Government (Autonomous) P.G College, Satna, Madhya Pradesh, India²

सारांश:

भारत के प्रधान मंत्री ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की और इस दिन देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

पहला विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किया गया था, जबकि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासित किया गया था।

उस समय सरकार द्वारा कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों की जाँच के लिए 10 पाउंड के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।

विमुद्रीकरण का दूसरा निर्णय स्वतंत्रता के बाद 16 जनवरी 1978 को किया गया था। रुपये के नोटों यानी रुपये के नोटों को विमुद्रीकृत करने का निर्णय लिया गया था जिसमें 1000, 5000 और 10000 के नोटों को बंद किया गया था।

लेकिन पिछले 2016 के विमुद्रीकरण से इस तरह अलग हैं कि पिछले दो मौकों पर प्रतिबंधित मुद्रा को एक नए नियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. योजना पत्रिका जनवरी 2019
2. कुरुक्षेत्र पत्रिका मार्च 2018
3. दैनिक समाचार पत्र